



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241123
CG-DL-E-16122022-241123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5624]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944

No. 5624]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5860(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 5124 (अ) तारिक 03.11.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारिक 03.11.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.046 (रेनिगुन्टा - नायडूपेटा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छे लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "प्रजाशक्ति (तेलुगु)" और "थी हिन्दू (अंग्रेज़ी)" 06.11.2022 तारिक को दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.046 (रेनिगुन्टा - नायडूपेटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: तिरुपति			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रेनिगुन्टा					
गांव का नाम: एलमंडयाम					
1	258/1A1B	निजी	बेट	0.044517	टी.उषारानी & अन्य (२५८/१ए१बी)
2	258/5A1B	निजी	बेट	0.0060705	ए.सुमति (२५८/५ए१बी)
3	258/6A1	निजी	बेट	0.105222	ए.सुमति & अन्य (२५८/६ए१)
4	263/3A1B	निजी	ड्राई	0.0141645	डी.विजय लक्ष्मी & अन्य (२६३/३ए१बी)
5	264/6B	निजी	बेट	0.0060705	के.भास्कर रेड्डी (२६४/६बी)
गांव का नाम: कोथापलेम					
6	77/1D2C	निजी	ड्राई	0.101154	जी.कृष्णा रेड्डी पिता जी.सुब्बा रेड्डी (७७/१डी२सी)
7	77/1DB2	निजी	ड्राई	0.08094	वी.जगन्नाथा रेड्डी पिता वी.गोविंदा रेड्डी (७७/१डीबी२)
8	77/1E2B	निजी	ड्राई	0.024282	जी.कृष्णा रेड्डी पिता जी.सुब्बा रेड्डी (७७/१ई२बी)

	गांव का नाम: र.मल्लावरम				
9	194/5B/2	निजी	वेट	0.084987	जी.मुनीरत्नाम रेड्डी पिता जी.सुब्बारामी रेड्डी (१९४/५बी/२)
	तालुक का नाम: थोट्टमबेदु				
	गांव का नाम: पेद्दाकननली				
1	378/13B1	निजी(पट्टा)	वेट	0.012141	जी.भास्कर नायडू (३७८/१३बी१)
2	380/3B2	निजी(पट्टा)	वेट	0.044517	एम.जयसुधा पत्नी वेंकटय्या (३८०/३बी२)
3	380/4B	निजी(पट्टा)	वेट	0.008094	एम.जयसुधा पत्नी वेंकटय्या (३८०/४बी)
4	380/5B	निजी(पट्टा)	वेट	0.012141	एम. आंकय्या (३८०/५बी)
5	380/5D	निजी	वेट	0.004047	एम.अंकय्या (३८०/५डी)
6	380/6A3	निजी(पट्टा)	वेट	0.004047	जे.चंद्र रेड्डी पिता चेंगा रेड्डी (३८०/६ए३)
			कुल	0.5523945	

[फा. सं. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2022

S.O. 5860(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.5124 (E) dated 03.11.2022 published the Gazette of India, Extraordinary Part- II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning,etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 71 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 57.046 (Renigunta- Naidupeta section) in the district of Tirupati in the state of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “PrajaSakthi”(Telugu) and “The Hindu”(English) both dated 06.11.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in National Highway No. 71 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 57.046 (Renigunta - Naidupeta Section) in the District of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Renigunta				
	Village: Elamandyam				
1	258/1A1B	Private	Wet	0.044517	T.Usharani & others 258/1A1B
2	258/5A1B	Private	Wet	0.0060705	A.Sumathi 258/5A1B
3	258/6A1	Private	Wet	0.105222	A.Sumathi & others 258/6A1
4	263/3A1B	Private	Dry	0.0141645	D.Vijaya Lakshmi & others 263/3A1B
5	264/6B	Private	Wet	0.0060705	K.Bhaskar Reddy 264/6B
	Village: Kothapalem				
6	77/1D2C	Private	Dry	0.101154	G.Krishna Reddy S/o G.Subba Reddy 77/1D2C
7	77/1DB2	Private	Dry	0.08094	V.Jagannadha Reddy S/o V.Govinda Reddy 77/1DB2
8	77/1E2B	Private	Dry	0.024282	G.Krishna Reddy S/o G.Subba Reddy 77/1E2B
	Village: R.Mallavaram				
9	194/5B/2	Private	Wet	0.084987	G.Munirathnam Reddy S/o G.Subbarami Reddy 194/5B/2
	Taluk: Thottembedu				
	Village: Pedda Kannali				
1	378/13B1	Private(Patta)	wet	0.012141	G.Bhaskar Naidu 378/13B1
2	380/3B2	Private(Patta)	Wet	0.044517	M.Jayasudha W/o Venkataiah

					380/3B2
3	380/4B	Private(Patta)	Wet	0.008094	M.Jayasudha W/o Venkataiah 380/4B
4	380/5B	Private(Patta)	Wet	0.012141	M.Ankaiah 380/5B
5	380/5D	Private	Wet	0.004047	M.Ankaiah 380/5D
6	380/6A3	Private(Patta)	Wet	0.004047	J.Chandra Reddy S/o Chenga Reddy 380/6A3
			TOTAL	0.5523945	

[F. No. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3D]

RAJESH GUPTA, Director